ओआईएच

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 456
दिनांक 15.09.2020

कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भुगतान

456. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त भुगतान कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को लाभ नहीं देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में किस-किस दिनांक को पत्र/परिपत्र जारी किए गए हैं?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): केन्द्रीय सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के दिनांक 2 नवम्बर, 2017 के पत्र सं. 1-7/2015-यू.II (1) के द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-मान के संशोधन का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापकों और समकक्ष संवर्गों (कैडर्स) के वेतन के संशोधन की योजना संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं, जो निम्नलिखित लिंक पर दिए पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं:

https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Revision%20of%20Pay%20of%20teachers02112017153139.pdf

.....2/-

(ख) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपने दिनांक 30 मई, 2018 के पत्र सं. 17(8)/2018-ए एवं पी के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के दिनांक 2 नवम्बर, 2017 के आदेश सं. 1-7/2015-यू.II(1) को सभी कृषि विश्वविद्यालयों को पृष्ठांकित कर दिया है।

****